it is not possible, at this stage, to give an indication as to when the project be taken up for implementation.

देश में वन-क्षेत्र में वृद्धि

3812 **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 31 दिसम्बर, 1991 तक भारत के वन क्षेत्र से कुल कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में वन-क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या वन-क्षेत्र में वृद्धि करने की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और कारगर बनाने के लिए पठारी क्षेत्र और वृक्षहीन पहाड़ी क्षेत्रों पर वन-रोपण को प्राथमिकता दी जायगी; और

(घ) बढ़े हुए वन क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने वृक्ष हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1987-89 की अवधि से संबंधित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1991 के अनुसार 1985-87 की अवधि से संबंधित स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1989 में 7,51,846 वर्ग कि. मी. की तुलना में देश का दर्ज वन क्षेत्र 7,70,078 वर्ग कि. मी. है रिकार्डेड वन क्षेत्र में 18,232 वर्ग कि. मी. की वृद्धि हुई है ।

(ख) अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में रिकार्ड वन क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी, हां ।

(घ) ऐसे आंकड़ों को नहीं रखा जाता है ।

रेडियो कोलरिंग के कारण चीतों और तेंदुओं की मृत्यु

3813. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो कोलरिंग के कारण कुछ चीतों और तेंदुओं की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने चीतों और तेंदुओं की मृत्यु हुई और ये मृत्यु किन-किन जंगलों में हुई ; और

(ग) सरकार ने ऐसी रेडियो कोलरिंग को रोकने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पशुओं को बेहोशी के हीके लगाना तथा उनके गले में रेडियो पट्टे बांधना वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कुछ अनुसंधान अध्ययनों का एक अनिवार्य हिस्सा है । वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के तहत उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत आने वाले किसी पशु को बेहोशी का टीका लगाने और उसके गले में रेडियो पट्टा बांधने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार की अनुमति देते समय, किसी पशु की मृत्यु अथवा यहां तक कि चोट लगने के सम्भावित खतरे को कम से कम करने के लिए अनेक शर्तें लगाई जाती हैं । इसमें से कुछ शर्तें इस प्रकार है :—

(1) एक समय पर केवल एक ही पशु को बेहोशी का टीका लगाने की अनुमति दी जाती है ।

(2) दूसरे पशु को बेहोशी का टीका केवल तभी लगाया जाता है जब पहले वाला पशु पूरी तरह से होश में आ जाता है।

(3) बेहोशी के टीके लगाने की अनुमति पशुओं के विशेषज्ञ डाक्टरों की देख-रेख में ही दी जाती है।

(4) बेहोशी का टीका लगाते समय अथवा गले में रेडियो पट्टा बांधते समय यदि किसी पशु को चोट लग जाती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अनुमति समाप्त समझी जाती है।

Pollution laws in the country

3814. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the various claims made by the Super Tannery about adherence to various norms laid down under various pollution laws in the country;

(b) whether it is a fact that Kanpur is one of the most polinted city on account of mushroom growth of tanneries and inadequate arrangements for treatments of effluents;

(c) whether Government have made any survey of each of the tanneries in Kanpur and evaluated these and if so, the details thereof; and

(d) whether Government are aware of the studies conducted on Kanpur Tanneries recently by South Solidarity, New Delhi and several other NGOs in the post and if so, details of their findings indicating whether the situation has improved recently?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There are 168 large and small tannery units in Kanpur area. 22 units are closed. 5 units have both primary and secondary effluent treatment plants. 138 units have primary effluent treatment plants only. 3 units are without any facilities for treatment. A system for collection and treatment of the effluent of all the tanneries in Jajmau locality of Kanpur is under construction.

(d) No report has been received by the Government regarding studies conducted by the non-governmental organisations regarding the tanneries in Kanpur.

जैव-क्षेत्र और वनों की सुरक्षा हेतु अग्नि-शमन उपकरण और वायरलैस सेट

3815. **श्री राजभाई ए. परमार :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैव-क्षेत्र और वनों की सुरक्षा हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अग्निशमन उपकरण और वायरलस सेट उपलब्ध नहीं करवाये गये ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन उपकरणों के अभाव में वनों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं।

वास्तविकता यह है कि इन दिनों "आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण प्रणाली?" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जीव मंडल और वनों की सुरक्षा के लिए वायरलैस सैट, अग्नि उपशमन उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित चीजें खरीदने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

"जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए अवसंरचना का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वायरलैस सैट और अग्नि उपशमन उपकरणों की खरीद के लिए भी राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को राशि प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।